राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़

"योजना भवन" सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
केपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर
(☎ 0771–2511227, 2511223) E-mail - distplan.cg@gmail.com

क्र0 932/जियो/रायोआ /2017 नया रायपुर, दिनांक 01 /08/2017

प्रति,

समस्त उप संचालक/सहायक संचालक,
जिला योजना एवं साख्यिकी कार्यालय
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– सतत् विकास आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 2018–19 तैयार करने हेतु जिला/विकासखण्ड स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा–निर्देश।

––00––

राज्य के समावेशी विकास के लिए सतत् विकास विकेन्द्रीकृत जिला योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाकर, जिला व विकासखण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आप से आपेक्षित है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को इस विषय पर सुदृढ़ीकरण किया जा सके। उपरोक्त विषय पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश स्मरण के रूप में भेजी जा रही है ताकि जिला योजना तैयार करने में सहायक हो सकें। जिला योजना निर्माण निम्नानुसार सम्पन्न किया जाना है।

1. **विकासखण्ड :–**
   1. विकासखण्ड का क्षेत्रवार स्थिति विश्लेषण तैयार करना।
   2. क्षेत्रकवार नोडल अधिकारी के उपस्थिति में समस्त विभाग की बैठक आयोजित कर विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभागीय व्यूहरचना के अनुसार आगामी तीन वर्ष में विभागीय मांग के अनुरूप एक वर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करना।
   3. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार की गई है तथा स्थानीय मांग को विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्रकवार संकलित करना।
   4. संकलित क्षेत्रवार योजना को अंतिम रूप देते समय विकासखण्ड स्तर पर तैयार की गई स्थिति विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकताओं को तय किया जाय। तद्नुरूप तैयार योजना को विकासखण्ड स्तर पर अनुमोदन की कार्यवाही की जाय।

2. **शहरी क्षेत्र :–** समस्त शहरी क्षेत्र में वार्डवार नियोजन करना है। नगर पंचायतों में विशेष ध्यान देकर अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षमता को सुदृढ़ीकरण करते हुए क्षेत्रकवार नियोजन को समाहित करके जिला नियोजन में सम्मिलित करें।

3. **जिला स्तर पर** :– सतत् विकास आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण के लिए जिला स्तर पर सम्पन्न होने वाली गतिविधियां निम्नानुसार है :–

1. जिले का क्षेत्रकवार स्थिति विश्लेषण तैयार कर जिले की प्राथमिकताओं को चिन्हित करना। **इसे अंतिम रूप देने की तिथि 31 अगस्त, 2017 निर्धारित की गई है।**
2. ई–कोष के माध्यम से विगत वर्ष के आधार पर विभागवार वर्ष 2018–19 के संभावित राशि का आंकलन कर संबंधित विभाग को सूचित करना।
3. विकासखण्ड से प्राप्त क्षेत्रकवार योजनाओं को विभागवार संकलित कर विभागों को सौंपना तथा विभागीय मांग, 17 एसडीजी लक्ष्य को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर विभागीय योजना में शामिल कर तैयार किया जाय।
4. समस्त विभाग से प्राप्त विभागीय योजनाओं की तीन वर्षीय कार्य योजना तैयार करते हुए एक वर्षीय एक्शन प्लान में संयोजित कर जिला योजना को अंतिम रूप प्रदान करें, अनुमोदन की प्रक्रिया को सम्पन्न करते हुए राज्य योजना आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. **समय–सीमा**

1. निर्मित विकेन्द्रीकृत जिला योजना को राज्य स्तर पर प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2017 निर्धारित की गई है।** इस समय सीमा में अनिवार्य रूप से योजना जमा किया जाय।
2. समयावधि में जिला योजना प्राप्त न होने के कारण राज्य स्तर पर विभागीय योजना में जिले द्वारा तय की गई क्षेत्रकवार स्थानीय मांग को उसी वर्ष के योजना में शामिल नही के कारण स्थानीय जन अकांक्षाओं की पूर्ति नही हो पाती जिससे इस प्रक्रिया के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ती है।

5. **आलेख का प्रस्तुतीकरण:–** जिला वार्षिक योजना वर्ष 2018–19 को तैयार करने में **कृतिदेव फोण्ट (फोण्ट साईज – 16)** का उपयोग करते हुए **आलेख एवं विवरण को वर्ल्ड फाईल तथा सारणीयन को एक्सल फाईल**, हार्ड एवं साफ्ट कापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(अमिताभ पाण्डा)
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़